

Conference on Key Child Rights Issues Shahajapur District Level on 10-11-2025

दैनिक
भास्कर

शाजापुर 11-11-2025

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में दी अधिनियमों और नवाचारों की जानकारी

बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया

शाजापुर | स्थानीय गांधी हॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में आयोग की डिविजन हेड (बालश्रम) पायल शर्मा ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की जानकारी दी और बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कलेक्टर ऋजू बाफना ने कहा बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने में सभी विभागों की महत्वपूर्ण



कार्यशाला के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि।

भूमिका है। राज्य आयोग के सहायक संचालक राहुल दुबे ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षित वातावरण पर प्रकाश डाला। एडवोकेट शुभांकर चौधरी ने बाल अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने जिले में बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए किए जा रहे नवाचारों की

जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मीना मंडलोई, श्रम पदाधिकारी आरएस प्रजापति, श्रम निरीक्षक आरके चौहान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नवीनचंद्र वर्मा, डीपीसी अनुराग पांडे, राज्य बाल आयोग से प्रभात भट्ट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से कर्मचारी उपस्थित थे।

बालिकाएं स्वयं आगे आकर अपनी पढाई के प्रति जागरूक हो- सुश्री ऋजू बाफना



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPDR) द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

SPECIAL REPORT

वैजक नदी की पुकार, जिला ब्यूरो
श्रीक शाजापुर नोट्स विभाग की रिपोर्ट
Mob:-91 94066 45150

शाजापुर। गत दिवस संरक्षण विभाग 10-11-2025 को शाजापुर कलेक्टर सुश्री ऋजू बाफना की अध्यक्षता में स्थानीय गांधी हॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन सी डी आर) की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संचालक राहुल दुबे ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षित वातावरण पर प्रकाश डाला। एडवोकेट शुभांकर चौधरी ने बाल अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने जिले में बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए किए जा रहे नवाचारों की

जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मीना मंडलोई, श्रम पदाधिकारी आरएस प्रजापति, श्रम निरीक्षक आरके चौहान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नवीनचंद्र वर्मा, डीपीसी अनुराग पांडे, राज्य बाल आयोग से प्रभात भट्ट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से कर्मचारी उपस्थित थे।



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPDR) द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित



कार्यशाला में संबोधित सभी विभागीय अधिकारियों की तस्वीरें।

दैनिक
भास्कर

शाजापुर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में दी अधिनियमों और नवाचारों की जानकारी

बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया

शाजापुर | स्थानीय गांधी हॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में आयोग की डिविजन हेड (बालश्रम) पायल शर्मा ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की जानकारी दी और बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कलेक्टर ऋजू बाफना ने कहा बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने में सभी विभागों की महत्वपूर्ण



कार्यशाला के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि।

भूमिका है। राज्य आयोग के सहायक संचालक राहुल दुबे ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षित वातावरण पर प्रकाश डाला। एडवोकेट शुभांकर चौधरी ने बाल अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने जिले में बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए किए जा रहे नवाचारों की

जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मीना मंडलोई, श्रम पदाधिकारी आरएस प्रजापति, श्रम निरीक्षक आरके चौहान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नवीनचंद्र वर्मा, डीपीसी अनुराग पांडे, राज्य बाल आयोग से प्रभात भट्ट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से कर्मचारी उपस्थित थे।